<u>**सिटिज़न चार्टर**</u>

यह चार्टर हमारे उपभोक्ताओं को एक ढाँचा देने का प्रयत्न करता है जो उन्हें निम्नलिखित जानकारी प्रदान करता है :-

- इस अस्पताल में क्या-क्या सेवाएँ उपलब्ध हैं |
- वे किस कोटि की सेवाओं के हक़दार हैं |
- वे माध्यम जिनके द्वारा अस्वीकृति एवं निम्न कोटि की सेवाओं से संबंधित शिकायतों का निवारण हो सकता है |

स्थान - सिटिज़न चार्टर

पूछताछ कक्ष और पंजीकरण सेवाएँ - सिटिज़न चार्टर
आकस्मिक सेवाएँ - सिटिज़न चार्टर
ओपीडी सेवाएँ - सिटिज़न चार्टर
चिकित्सा संबंधी "सुविधाएँ" - सिटिज़न चार्टर
प्रयोगशाला सेवाएँ (लैबोरेटरी) - सिटिज़न चार्टर
रेडियोडायग्नोसिस सेवाएँ - सिटिज़न चार्टर
अंतरंग रोगी सेवाएँ - सिटिज़न चार्टर
विकलांगता प्रमाण-पत्र - सिटिज़न चार्टर
व्यावसायिक पाठ्यक्रम - सिटिज़न चार्टर
अन्य सुविधाएँ - सिटिज़न चार्टर
शिकायत निवारण सैल - सिटिज़न चार्टर
उपभोक्ताओं का दायित्व - सिटिज़न चार्टर

अवस्थिति : सिटिज़न चार्टर

- यह संस्थान हाजी अली (महालक्ष्मी) में, के खाड्ये मार्ग पर (पहले क्लर्क रोड), विलिंग्डन स्पोर्ट्स क्लब के सामने, हाजी अली दरगाह के नजदीक स्थित है |
- महालक्ष्मी एवं मुंबई सेंट्रल वेस्टर्न रेलवे पर और भायकला सेंट्रल रेलवे पर समीपस्थ स्टेशन हैं | इन सभी स्टेशनों से बेस्ट बसें उपलब्ध हैं | इन स्टेशनों से अथवा अन्य मार्गो से गुजरने वाली बसे यहाँ पहुंचने के लिए उपयुक्त हैं |
- पता : अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, हाजी अली , के खाड्ये मार्ग, महालक्ष्मी, मुंबई, महाराष्ट्र, भारत - 400 034.

- पूछताछ हेतु संपर्क करें :
  91 -22-23544341,91-22-23544332, 91-22-23515765, 91-22-23545358, 91-22-23540933
- वेबसाइट - www.aiipmr.gov.in
- ई-मेल - aiipmr@vsnl.com, director@aiipmr.gov.in
- मैप -

पूछताछ कक्ष एवं पंजीकरण सेवाएँ : सिटिज़न चार्टर

- पूछताछ कक्ष: सोमवार से शुक्रवार, सुबह 9.00 से 4.00 (शाम) बजे तक संपर्क कर सकते हैं एवं शनिवार को सुबह 9.00 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक |
- इलाज हेतु नये पंजीकरण ओपीडी के दिनों पर (सोमवार, बुधवार, शुक्रवार) सुबह 9.00 बजे से 11.00 बजे तक, संस्थान के ब्लॉक 'बी' के प्रवेश पर स्थित पंजीकरण / पूछताछ काउंटर पर किये जाते हैं | यह सेवा नि:शुल्क है |
- रोगियों को रिकॉर्ड फाइलें दी जाती हैं जिन्हें उपचार / परामर्श के बाद रिकॉर्ड सेक्शन में वापस जमा करना होता है | रोगियों को टोकन / कार्ड दिये जाते हैं जिनका उपयोग कर वे, संस्थान में आने पर, हर बार अपनी फाइल निकलवा सकते हैं / प्राप्त कर सकते हैं |

आकस्मिक सेवाएँ : सिटिज़न चार्टर

चूंकि संस्थान में दी जाने वाली चिकित्सा सेवाएँ पुनर्वास संबंधी होती हैं, अतः यह संस्थान आकस्मिक / आई.सी.यू सुविधाएँ प्रदान नहीं करता है |

ओ पी डी (बहिरंग) सेवाएँ : सिटिज़न चार्टर

- ओपीडी पंजीकरण समय : सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, सुबह 9 बजे से 11 बजे तक
- ओपीडी, न्यू 'ए' ब्लॉक के तल मंजला रूम नं. 22 (चार केबिन प्रक्षेत्र) और रूम नं. 24 (दो केबिन प्रक्षेत्र) में स्थित हैं |
- निदान एवं पुनर्वास व्यवस्था प्रदेशन के लिए रोगियों की पी एम आर, ओ पी डी में जाँच होती है और आवश्यकता पड़ने पर उचित कार्रवाई के लिए उन्हें अलग-अलग विभागों में भेज दिया जाता है |

चिकित्सा सुविधाएँ - सिटिज़न चार्टर

I) चिकित्सा विभाग :-

- ❖ भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास
- ❖ निश्चेतन
- ❖ विकिरण विज्ञान
- ❖ विकृति विज्ञान

II) सहबद्ध विभाग :-

- ❖ भौतिकोपचार
- ❖ व्यावसायिकोपचार
- ❖ प्रोस्थेटिक्स एवं ऑर्थोटिक्स
- ❖ श्रवण एवं वाकोपचार
- ❖ चिकित्सा संबंधी सामाजिक कार्य
- ❖ व्यावसायिक मार्गदर्शन
- ❖ व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यशाला

- ओपीडी में रोगी की दुर्बलता एवं कार्यक्षमता का चिकित्सा-पूर्व मूल्यांकन किया जाता है और फिर उसे विभिन्न विभागों में भेज दिया जाता है |
  - ❖ भौतिकोपचार/ व्यावसायिकोपचार / श्रवण एवं वाकोपचार विभागों में निर्धारित उपचार प्रदान किये जाते हैं | कर्मचारियों की उपलब्धता एवं उपचार के लिए रोगियों की संख्या को देखकर रोगियों को उपचार हेतु निश्चित समय दिया जाता है |
- निर्धारित प्रोस्थेसिस एवं ऑर्थोसिस का मापन उपयुक्तता के लिए रोगी का मूल्यांकन किया जाता है और इसके बाद प्रोस्थेटिक्स एवं ऑर्थोटिक्स क्लिनिक में उपकरणों की गुणवत्ता को अंतिम रूप दिया जाता है | इस प्रक्रिया में कुछ घंटों से लेकर कुछ हफ्तों तक का समय लग सकता है |
- चिकित्सा सामाजिक कार्यकर्ता एवं व्यावसायिक सलाहकार की सेवाएँ आवश्यकतानुसार ली जाती हैं |

प्रयोगशाला (लैबोरेटरी) सेवाएँ :- सिटिज़न चार्टर

- नेमी रक्त एवं मूत्र की जाँच की जाती हैं |
- नमूनों का संग्रहण संस्थान के ब्लॉक 'बी' में स्थित विकृति विभाग के रूम नं. 6, तल मंजिल पर होता है |
- नमूनों के संग्रहण का समय :-
  - ➢ सोमवार से शनिवार, सुबह 9.00 बजे से 10.00 बजे तक
  - ➢ जाँच करने के लिए एक निश्चित दिन व समय पर बुलाया जाता है | निश्चित समय एवं तारीख ब्लॉक 'बी' के रूम नं. 6, से दी जाती है |
  - ➢ सभी जाँच निःशुल्क होती हैं |

विकिरण निदान सेवाएँ (रेडियोडायग्नोसिस):- सिटिज़न चार्टर

इन सेवाओं में सम्मिलित हैं :-

1. डिजिटल एक्स-रे
2. विशिष्टीकृत ऑर्थोस्कैनोग्रेम
3. अल्ट्रासाउंड
4. कलर डॉपलर

- एक्स-रे प्रतिदिन सोमवार से शुक्रवार सुबह 9.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक और शनिवार सुबह 9.00 बजे से 11.00 बजे तक किए जाते हैं |
- एक्स-रे लेने के लिए पंजीकरण ओ पी डी के दिनों पर सुबह 9 बजे से 11.30 बजे तक रूम नं. 3, विकिरण विज्ञान विभाग, तल मंजला, संस्थान के ब्लॉक 'बी' में किया जाता है |
- अल्ट्रासाउंड एवं कलर डॉपलर रूम नं. 1 / अल्ट्रासाउंड रूम, तल मंजला, संस्थान के ब्लॉक 'बी' में किया जाता है |
- उपरोक्त के लिए निश्चित समय एवं दिन रूम नं. 1 और रूम नं. 3 में विकिरण विज्ञान विभाग में दिये जाते हैं |
- सभी प्रक्रियाएँ निःशुल्क हैं |

अंतरंग रोगी सेवाएँ :- सिटिज़न चार्टर

- रोगियों को अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक पुनर्वास सेवाओं एवं पुनर्वास शल्यक्रिया (सर्जरी) के लिए दाखिल किया जाता है |
- जिन रोगियों को पुनर्निर्माण हेतु शल्यक्रिया की आवश्यकता होती है, उन्हें शल्यक्रिया की एक निश्चित तारीख दी जाती है (सामान्यतः 3 महीनों से अधिक नहीं) जिसका समन्वयन उपकरणों के परीक्षण की तारीख से किया जाता है और इस संपूर्ण प्रक्रिया को कम से कम समय में पूरा करने का प्रयास किया जाता है |
- वॉर्ड में 47 और रिकवरी रूम में 8 बेड हैं |
- शल्य क्रियाएँ एवं अंतरंग उपचार निःशुल्क होता है |
- संस्थान के कार्यालय समय के बाहर, ड्यूटी पर उपस्थित चिकित्सक द्वारा उपचार दिया जाता है और विशेषज्ञ फोन पर भी उपलब्ध रहते हैं |
- जनरल वॉर्ड में सभी रोगियों को निःशुल्क भोजन दिया जाता है |
- हर रोगी को एक सहायक (अटेंडेंट) पास दिया जाता है |
- रोगियों से मिलने का समय केवल शाम 5.00 से 7.00 बजे तक है |

उपकरणों की कीमत :-

- संस्थान में बनाए जाने वाले उपकरणों के लिए रोगियों से नाममात्र शुल्क लिया जाता है |
- यह शुल्क कैशियर काउंटर, लेखा विभाग, पहली मंजिल, ब्लॉक 'बी' में अदा किया जाता है |
- समय - सुबह 9.00 से दोपहर 1.00 और दोपहर 1.30 से 2.30 बजे तक |

विकलांगता प्रमाण-पत्र :- सिटिज़न चार्टर

संस्थान द्वारा जारी होने वाले विभिन्न प्रमाण-पत्र इस प्रकार है :-

- चलन संबंधी विकलांगता (लोकोमोटर) प्रमाण-पत्र
- रेलवे रियायत प्रमाण-पत्र
- स्कूली बच्चों के लिए विशेष प्रमाण-पत्र
- व्यवसाय संबंधी प्रमाण-पत्र

- ड्राइविंग अर्हक प्रमाण-पत्र

विकलांगता मूल्यांकन हर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को रूम नं. 09, ब्लॉक 'बी' में सुबह 9.00 बजे किया जाता है |

विकलांगता मूल्यांकन :-

- संस्थान उन रोगियों को प्रमाण-पत्र जारी करता है, जो चलन संबंधी या बहुविकलांगता से ग्रसित हों (मुख्यतः चलन संबंधी विकलांगता ही) विकलांगता मूल्यांकन और प्रमाणीकरण, निर्देश एवं राजपत्र अधिसूचना पंजीकरण क्रं. DL 33004/99 (एक्स्ट्रा-ओर्डिनरी), भाग -II, अनुभाग -1, 13 जून 2001 जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (MOSJE), भारत सरकार द्वारा जारी होता है |
- विकलांगता मूल्यांकन हर सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और शनिवार को किया जाता है | शनिवार को केवल उन्हीं मामलों को लिया जाता है जिनका पुनर्विलोकन करना होता है |
- उपरोक्त सभी दिनों (शनिवार छोडकर) पर विकलांग व्यक्ति को सुबह 9.00 बजे, रूम नं. 9, ब्लॉक 'बी' में आवेदन करना होता है |
- आवेदक को आवेदन फॉर्म भरकर, उचित निवास स्थान प्रमाण, उम्र का प्रमाण और 5 पासपोर्ट साइज की अच्छी गुणवत्ता वाली फोटो (जिसमें मुख के साथ कंधा दिखते हों) एवं 16 रुपये की फीस के साथ जमा करना होता है |
- सभी पुराने तत्संबंधी उपचार के अभिलेख, जाँच की रिपोर्ट के साथ रक्त परीक्षण रिपोर्ट, एक्स-रे, एम आर आय (MRI) इत्यादि आवेदन करने के समय उपलब्ध होने चाहिए |
    - ❖ सभी आवेदकों की किसी डॉक्टर द्वारा छानबीन होने के बाद, उन्हें आवश्यक आंकलन के लिए, भौतिकोपचार, व्यावसायिकोपचार और / या वाकोपचार विभागों में भेज दिया जाता है या आवश्यकतानुसार आगे की जाँच या परामर्श के लिए बताया जाता है |
- विकलांगता प्रमाणपत्र, बोर्ड द्वारा 2.00 बजे (अपराहन) से जारी किये जाते हैं |
- स्थायी विकलांगता प्रमाणपत्र एक बार जारी किया जाने पर, उनका फिर से नवीकरण नहीं होता, जब तक कोई नई विकलांगता से व्यक्ति ग्रसित न हो | अस्थायी प्रमाणपत्रों का पुनर्विलोकन, पुनःआंकलन के लिए दिये गए समय पर ही होता है |
- प्रमाण-पत्र के खो जाने की स्थिति में, प्रमाण-पत्र की अनुलिपि केवल पुलिस शिकायत दिखाने पर ही दी जाती है और गुम हुए प्रमाणपत्र की फोटोकॉपी भी वांछनीय है |

रेलवे रियायत प्रमाण-पत्र (आर सी):-

रेलवे रियायत प्रमाण-पत्र का नवीकरण या उन्हें जारी करने का काम प्रतिदिन सुबह 9.00 बजे से 11.00 बजे तक होता है | नवीकरण करने के लिए, व्यक्ति को अपने विकलांगता प्रमाण-पत्र की मूल प्रति (संस्थान द्वारा प्राप्त) एवं पुराना रेलवे रियायत प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होता है | एक बार रेलवे रियायत के लिए मना किये जाने पर,

उसी विकलांगता के लिए व्यक्ति का पुनः आंकलन नहीं होता है | यह प्रमाणपत्र भारतीय रेलवे के निर्देशानुसार जारी किया जाता है (जो भारतीय रेल के वेबसाइट पर उपलब्ध है) रेलवे रियायत प्रदान करने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता | 3 पासपोर्ट साइज के उत्तम गुणवत्ता वाले फोटो चाहिए जिनमें मुख के साथ कन्धे (शोल्डर) भी दिखते हों, की आवश्यकता है |

स्कूली छात्रों के लिए विशेष प्रमाणपत्र -

स्कूल के छात्रों की भिन्न भिन्न आवश्यकताओं के अनुसार केवल बहिरंग रोगी विभाग (ओपीडी) के दिनों में ही प्रमाणपत्र जारी किये जाते है | प्रमाणपत्र जारी करने के लिए छात्र की उपस्थिति उसके विकलांगता प्रमाणपत्र के साथ अनिवार्य है | उन्हें पुराने उपचार संबंधी रिकॉर्ड लाने की सलाह भी दी जाती है | तीन पासपोर्ट साइज़ की उत्तम गुणवत्ता वाली फोटो, जिसमें मुख के साथ कन्धे भी दिखते हों, की भी आवश्यकता है | कुछ प्रमाणपत्रों के लिए छात्र को गति एवं दक्षता के संदर्भ में, विस्तृत आंकलन के लिए (व्यावसायिकोपचार विभाग में) 2-3 बार संस्थान में आना पड़ सकता है |

व्यवसाय संबंधी प्रमाण पत्र :-

ये प्रमाण पत्र केवल व्यक्ति के कार्यस्थल के कार्यालय द्वारा निवेदन पर ही जारी किये जाते हैं |

ड्राइविंग अर्हक प्रमाण पत्र :-

इन व्यक्तियों को व्यावसायिकोपचार विभाग से एक उचित समय निश्चित कर, इस समय पर आवश्यक औपचारिकताएँ पूर्ण करनी होती हैं |

ड्राइविंग प्रमाणीकरण प्रक्रिया :-

पूर्व निश्चित समय पर ही केवल चलन विकलांगता संबंधी व्यक्तियों का आंकलन होता है |

- समय को निश्चित करने का कार्य एवं आंकलन, व्यावसायिकोपचार विभाग, रूम नं. 110, पहले मंजिल पर किया जाता है |
- आवश्यक दस्तावेज़ है :

1. 4 पासपोर्ट साइज फोटो 1.5”× 2” जिसमें ग्रसित भाग /अंग स्पष्टतः दिखाई देता हो | (कम्प्यूटरटराइजड़ फोटो मान्य नहीं हैं)
2. निवासी प्रमाण (राशन कार्ड, मतदान कार्ड, वर्तमान बिजली एवं टेलीफोन बिल) |
3. रु.50/- कार्य-प्रक्रिया शुल्क |
4. चिकित्सा रिपोर्ट विकलांगता से संबंधित यदि है |
5. मुंबई से बाहर रहने वालों के लिए आर टी ओ द्वारा पी ड्ब्यू डी के लिए दिया गया पत्र |
6. यह प्रमाणपत्र केवल महाराष्ट्र में रहने वाले व्यक्तियों को ही जारी किया जाता है |

- चिकित्सीय आंकलन के बाद, यदि आवश्यकता हो तो रोगी को पूर्व ही सूचित कर , रोड पर टेस्ट के रूप में गाड़ी / मोटर चलाने का अवसर दिया जाता है | इसके लिए उसे स्वयं ही मोटर /गाड़ी का प्रबंध करना पड़ता है |
- यदि टेस्ट में मोटर चालन की क्रिया को उचित नहीं पाया गया तो सुधार की गुंजाइश के दृष्टिकोण से व्यक्ति को सीखने का प्रमाणपत्र अस्थायी रूप से दिया जा सकता है |
- यदि मोटर चालन की क्रिया में व्यक्ति को पूर्ण सक्षम पाया गया (रूपान्तरण के साथ /बिना) तो प्रमाणपत्र लगभग आंकलन के एक हफ्ते बाद प्राप्त किया जा सकता है |

व्यावसायिक पाठ्यक्रम - सिटिज़न चार्टर

यह संस्थान विकलांग व्यक्तियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यशाला में निम्नलिखित प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम संचालित करती है :-

1. कम्प्यूटर प्रचालन
2. ड्राईंग व पेंटिंग / हैंडीक्राफ्ट एवं कम्प्यूटर ग्राफिक एवं डिजाइनिंग
3. टेलरिंग एण्ड कटिंग
4. फोटोग्राफी (स्टिल एण्ड मूवी)
5. कार्पेंटरी एवं इंटीरियर डेकोरेशन

चलन संबंधी विकलांग लोगों का मूल्यांकन कर उन्हें पाठ्यक्रमों में भर्ती किया जाता है |

अन्य सुविधाएँ :- सिटिज़न चार्टर

- व्हील चेयर एवं ट्रोलियाँ ओ पी डी में उपलब्ध हैं |
- रोगियों एवं उनके सहायकों के लिए कैंटीन की सुविधा उपलब्ध है |
- विकलांग व्यक्तियों के लिए समुचित शौचालय सुविधाएँ उपलब्ध हैं |
- यातायात सुविधा केवल दादर-माहिम-बांद्रा-सायन-माटुंगा-परेल एवं हाजी अली मार्ग पर ही उपलब्ध हैं |

शिकायत एवं शिकायत निवारण सेल :- सिटिज़न चार्टर

- अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान में एक जन शिकायत समिति गठित है | वर्तमान में यह समिति डॉ वाय.डी.कुमार की अध्यक्षता में कार्यरत है | अस्पताल में मुख्य-मुख्य जनस्थलों पर शिकायत / सुझाव बॉक्स लगाए गए हैं |
- ये बॉक्स महीने में एक बार खोले जाते हैं | इन बक्सों में डाली गई शिकायतों या सुझावों को पंजीकृत किया जाता है और यदि आवेदक का पूर्ण पता मालूम हो तो आवेदक को इसके स्वीकार किए जाने की सूचना भी दी जाती है | यदि पता न भी दिया हो, तब भी इन शिकायतों या सुझावों का माह में होने वाली बैठकों में परीक्षण होता है | पहले से लंबित सुझावों / शिकायतों की अनुवर्ती कार्रवाइयों पर भी चर्चा की जाती है | आवश्यकता पड़ने पर, समिति की संस्तुति प्रशासनिक / संबंधित अनुभाग

में उचित कार्रवाई के लिए भेज दी जाती है | शिकायत / सुझाव पर की गई कार्रवाई की सूचना आवेदक को दी जाती है |

संपर्क करें : 022-23544341/32 विस्तार- 246

उपभोक्ताओं के उत्तरदायित्व : सिटिज़न चार्टर

- इस चार्टर की सफलता उपभोक्ताओं द्वारा प्राप्त सहयोग पर ही आधारित है |
- यह संस्थान कई प्रतिबंधों में कार्य कर रहा है जिसकी सराहना वांछनीय है |
- कृपया अन्य रोगियों को असुविधा न होने दें |
- कृपया संस्थान एवं आसपास के क्षेत्र को साफ सुथरा रखने में हमारी मदद करें |
- कृपया इस संस्थान की सुविधाओं का सावधानी से प्रयोग करें |
- कृपया ग्राहक जुटाने वालों /दलालों से सावधान रहें |
- यह संस्थान "धूम्रपान निषेध जोन" है और यहाँ बीड़ी सिगरेट पीना दंडनीय अपराध है |
- कृपया कर्मचारियों एवं अधिकारियों से अनुचित अनुग्रह न करें क्योंकि यह भ्रष्टाचार को बढ़ाता है |
- कृपया हमें उपयोगी प्रतिक्रिया एवं रचनात्मक सुझाव दें | यह सुझाव संस्थान निदेशक को भेजे जा सकते हैं e-mail : aiipmr@vsnl.com एवं सुझाव व शंकाएं सी एम ओ को भी भेजे जा सकते हैं - e-mail : cmo.nfsg@aiipmr.gov.in |

स्थल मानचित्र (साइट मैप)

मुख्य पृष्ठ
अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान एवं विभाग - परिचय
निदेशक - परिचय
भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास विभाग
परिचारिका विभाग
भौतिकोपचार विभाग
व्यावसायिकोपचार विभाग
विकिरण विज्ञान विभाग
विकृति विज्ञान विभाग
श्रवण एवं वाकोपचार विभाग
शैक्षणिक विभाग
प्रोस्थेटिक्स एवं ओर्थोटिक्स विभाग
जीव चिकित्सा अभियांत्रिकी विभाग
चिकित्सा समाज कार्य विभाग
व्यावसायिक मार्गदर्शन विभाग
व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं कार्यशाला
अनुसंधान विभाग
समुदाय आधारित पुनर्वास
हिंदी अनुभाग
पुस्तकालय
विकलांगता प्रमाणपत्र जारी करने के बारे में सूचना
भविष्य एवं विगत घटनाएँ
संस्थान - भविष्य की योजनाएँ
छुट्टियों की सूची
विभिन्न वेबसाइट संबंधित लिंक
संस्थान पहुँचने के लिए सड़क मानचित्र
सूचना का अधिकार अधिनियम संबंधित जानकारी
खोज पृष्ठ
संस्थान द्वारा प्रदान की जानेवाली विभिन्न सेवाएँ
इस वेबसाइट का स्थल मानचित्र
विशेष क्लिनिक के बारे में जानकारी
संस्थान का समय
विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम
संपर्क करें एवं आपके विचार
अभिगम्यता विवरण
गोपनीय नीति
संस्थान की वेबसाइट की निबंधन एवं शर्तें

संपर्क करें

अपने विचार अथवा सवाल भेजें ____________________________

आपका ई-मेल पता

संदेश का मुख्य भाग

सैशन कोड

ABSqE7

उपर्युक्त भरें

भेजें